HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15399/2026
CNR: RJHC020949232026 | URN: CRLMB / 28427U / 2026

1. Laxman Singh S/o Late Shri Babu Singh, Aged About 50 Years, R/o Behind Goverdhan Naath Temple, Mirdho Ka Mohalla, Naya Sahar Kishangadh, Police Station Kishangadh, District-Ajmer. (At Present Confined At Central Jail Ajmer, (Raj.)
2. Abhijeet Singh S/o Shri Ganpat Singh, Aged About 25 Years, R/o Behind Goverdhan Naath Temple, Mirdho Ka Mohalla, Naya Sahar Kishangadh, Police Station Kishangadh, District-Ajmer. (At Present Confined At Central Jail Ajmer, (Raj.)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Pushpendra Kumar Pandey, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Rathore, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

25/11/2026

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–किशनगढ़, जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**164/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 189(2), 351(2) बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, प्रकरण में वे दिनांक 17.09.2026 से अभिरक्षा में है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है,

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.11.26
09:53:49 IST

विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध आहत के साथ घातक हथियारों से मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुंचाने व हत्या के प्रयास का आरोप है। अभियुक्तगण दिनांक 17.09.2026 से अभिरक्षा में हैं, अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है, उनका कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **1. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. श्री बाबूसिंह तथा 2. अभिजीत सिंह पुत्र गणपत सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/34/DINESH KUMAWAT